e-mail

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 2951 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2020-21, दिनांक 17.03.2020

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) एवं सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना(राज्य योजना) अन्तर्गत योजना के वाहनों के परिचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पृष्ठांकन परिपत्र संख्या-2232/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 31.12.2019 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-1182/37-3-2019-1(32)/2015 टीसी-।।।, दिनांक 16 दिसम्बर,2019 में प्रदत्त निर्देशो एवं कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1 /91-का-2/2019, दिनांक 18 दिसम्बर,2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के कय(आउट सोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केटप्लेस, **जेम(GeM)** की व्यवस्था में दिये गये निर्देशों/प्राविधानों के अनुरूप ***बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें-योजना*** व ***सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना*** के वाहनों के परिचालन हेतु वाहन चालकों की व्यवस्था माह-मार्च,2020 तक किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें-योजना व ***सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना*** को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में जनदीय अधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर बार-बार दूरभाष पर पृच्छायें की जा रही है। जनपदीय अधिकारियों की सन्दर्भित पृच्छाओं के सापेक्ष, उक्त योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 में समुचित कियान्वित करने हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र दिनांक 31.12.2019 के अनुक्रम में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनाओं के कियान्वयन हेतु शासन द्वारा बजट की व्यवस्था कर दी गई है।
- कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18 दिसम्बर,2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के कय(आउट सोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केटप्लेस, **जेम(GeM)** की व्यवस्था

में दिये गये निर्देशों/प्राविधानों के अनुरूप, ***बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें-योजना*** व ***सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना*** के वाहनों के परिचालन हेतु वाहन चालकों की व्यवस्था, आउट सोर्सिंग के माध्यम् से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी समयबद्ध रूप से करना सुनिश्चित् करें।

- ***फर्मों के चयन के सापेक्ष पूर्व में शासन द्वारा अनुमोदित/उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध के प्रतिदर्श विलेख एवं शासनादेश दिनांक 18.12.2019 में प्रदत्त शर्तों/दशाओं के अनुसार ही वाहन चालकों के ई.पी.एफ व ई.एस.आई., पारिश्रमिक आदि का नियमित/समय से भुगतान किये जाने का, सेवा प्रदाता से निष्पादित होने वाले अनुबन्ध में अवश्य उल्लेख किया जाये। साथ ही उक्त भुगतान का नियमित अनुश्रवण भी किया जाय।***
- योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गई मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन किया जाय। उक्त मार्ग-निर्देशिका में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष किसी भी प्रकार के विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
- **योजना की गाईड लाईन एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुये इन वाहनों को योजना से इतर अन्य कार्यो में कदापि न लगाया जाय।**
- यदि योजना के वाहनों का आप द्वारा अन्यत्र उपयोग किया जायेगा तो आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- मार्ग-निर्देशिका में निर्देशित किया गया है कि, ***''योजना के वाहनों का परिचालन, रूट निर्धारित कर किया जायेगा। निर्धारित रूट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।''*** वाहनों का रूट चार्ट तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित् करें।
- **प्रत्येक वाहन के परिचालन अन्तर्गत लागबुक की व्यवस्था एवं प्रविष्टियों को समुचित रूप से इन्द्राज/उल्लेख कराया जाय।**
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के क्रियान्यन विभिन्न मानक मदों में धनराशि की मांग का प्रस्ताव ई-मेल-**jddchq@gmail.com** पर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना का समुचित रूप से क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित् करें।

भवदीय,

(डा० यू० पी० सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /सा०-एक/एक्स-84(120)/बहु०स०प०चि०से०/2020-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि,

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।

(डा० यू० पी० सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।